न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 63/2017 दायरा दिनांक : 13.06.2017

उनवान

1— राकेश आत्मज खेम चन्द, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— मुकेश आत्मज खेम चन्द, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— गुड्डी बाई पुत्री खेम चन्द, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— रीना नाबालिग पुत्री खेम चन्द, जर्ये वलिया माता भगवती देवी विधवा पत्नी खेमचन्द, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— भवगती देवी पत्नी खेम चन्द, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— ओम प्रकाश पुत्र भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— धनरूप पुत्र भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— कैलाश पुत्र भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— दिनेश पुत्र भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5– रामप्यारी पुत्री भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6– ललता पुत्री भंवरलाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7– गुलाब चन्द पुत्र हीरा लाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8– हरक चन्द पुत्र हीरा लाल, जाति खाती, निवासी देवकादार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 14/दावा/2016 निर्णय दिनांक 09.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवकादार, तहसील अकलेरा में आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जो

अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है उसमें से रास्ता कायम किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया और राजस्व लोक अदालत में इसका निस्तारण करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 14 बिस्वा में से रास्ता कायम किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारों से परे जाकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु लम्बित थी । आगामी तारीख दिनांक 02.05.2016 नियत थी और उसको दिनांक 09.05.2016 को लोक अदालत में रखा गया जिसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई । रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार करवायी गयी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में प्रकरण रखा गया जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई थी । अपीलांट की

अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई है । पूर्व में जो रिपोर्ट दिनांक 11.06.2011 को तैयार की गई है वह अपीलांट के पक्ष में है उसमें कोई रास्ता नहीं बताया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2017 पेज 294, आर आर डी 2018 पेज 121 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लोक अदालत के नोटिस जारी किये गये थे फिर भी अपीलांट उपस्थित नहीं हुए । रेस्पोडेंट ने निर्धारित राशि जमा करा दी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसमें दिनांक 02.05.2016 की जवाब हेतु नियत की गई थी । इसको दिनांक 09.05.2016 को लोक अदालत में रखा गया जिसमें वादीगण उपस्थित हुए हैं पर प्रतिवादीगण में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और उसी दिन निर्णय पारित किया गया है, जिस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, उस रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है । अप्रार्थी अपीलांटगण की उपस्थिति दर्ज नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट नम्बर 5 को दिये गये नोटिस पर राकेश खाती के हस्ताक्षर है जबकि नोटिस भगवती बाई के नाम है । इस प्रकार रीना अपीलांट नम्बर 4 नाबालिग जरिये वलि माता भगवती बाई को नोटिस

दिया जाना अंकित है और राकेश खाती के हस्ताक्षर है । अपीलांट नम्बर 3 गुड्डी बाई अपीलांट नम्बर 2, मुकेश का नोटिस राकेश खाती को दिया जाना अंकित है । न तो इन तामील रिपोर्ट में गवाह के हस्ताक्षर हैं और न ही उनके नाम पता अंकित है और न ही तहसीलदार का पृष्ठांकन अंकित है । इस प्रकार तामील सी पी सी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया है । फिर भी उसी दिन निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में उभयपक्षकारान के उपस्थित होने के उपरान्त एवं आपसी सहमति के आधार पर विधिक राजीनामा पेश किये जाने पर ही निर्णय पारित किया जाता सकता है । इसके अभाव में सी पी सी की पालना में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द कियाजाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.2018 में उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा